

मेरी सरकार 2.0

IMPORTANT FOR

- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
- All Exam Interview

“मेरी सरकार” पहल क्या है-

“मेरी सरकार” प्लेटफॉर्म एक पथ प्रदर्शक और सरकार में भागीदारी की एक अनूठी पहल है। जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इसके पीछे यह विचार है कि, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार व आम नागरिक को करीब लाया जाए जहां वे आपस में अपने दृष्टिकोण व विचारों का आदान-प्रदान कर सकें तथा देश के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की योजनाओं में विशेषज्ञों के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके।

नोट :- **NDA** सरकार ने 26 जुलाई 2014 को अपनी तरह का यह पहला मंच शुरू किया था। हाल ही में अब इसका 2.0 वर्जन लांच किया गया है।

“मेरी सरकार” पहल की उपलब्धियां-

- ✓ यह मंच नागरिकों को शासन और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों से जोड़ने में सक्षम रहा है।
- ✓ यह मंच नागरिकों को गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, स्वच्छ गंगा मिशन, स्वस्थ भारत अभियान और कौशल विकास जैसे शासन के महत्वपूर्ण और नीतिगत मुद्दों पर सहभागी बनाने में सफल रहा है।
- ✓ इस मंच ने आम नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है।



मेरी सरकार प्लेटफॉर्म का लोगो

मेरी सरकार पहल की विशेषता-

“मेरी सरकार” डिजिटल प्लेटफॉर्म के 1.2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं जो विभिन्न चिन्हित कार्यों के माध्यम से भाग लेते हैं और चर्चा के माध्यम से अपने विचार साझा करते हैं। इस पहल को विभिन्न मुद्दों पर प्रत्येक सप्ताह लगभग 10,000 से अधिक पोस्ट मिलते हैं जिनका विश्लेषण किया जाता है साथ ही संबंधित विभाग को सुझावों हेतु इस प्लेटफॉर्म से जोड़कर रखा जाता है।

“मेरी सरकार” पहल का उद्देश्य एक जन आंदोलन में परिणत होना है, जो “स्व-शासन” और “सुराज्य” की दिशा में कार्य करेगा।

Contact us : 9039361688, 8770718705

Follow us on :- RAJPUT TUTORIALS /



राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No.- 2 (Essay)
 - Paper No.- 7 (Part-3)

आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया था। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में लाया जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने वर्ष 1992 में आंशिक बदलाव किया था। बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर मौजूदा “एनडीए सरकार” ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को 29 जुलाई 2020 के कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 में “नई शिक्षा नीति” का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगा था।

नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख “के. कस्तूरिंगन” की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020” के कुछ प्रमुख बिन्दु

- ▶ पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी।
- ▶ नई शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। (नोट:- वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 4.43 प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है)
- ▶ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
- ▶ ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक “राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम” NETF बनाया जाएगा जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे।
- ▶ वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में “सकल नामांकन अनुपात” (Gross Enrolment Ratio) 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो कि वर्ष 2018 में 26.3 प्रतिशत था।
- ▶ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। (नोट : इससे देश में ड्रॉप आउट का प्रतिशत कम होगा)
- ▶ नई शिक्षा नीति-2020 के तहत सेंट्रल युनिवर्सिटी, डीम्ड युनिवर्सिटी व स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट के लिए समान नियम होंगे।
- ▶ देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना की जाएगी। (नोट : यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा तथा बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा)

Contact us : 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-2)

किसान रेल

किसान रेल है क्या?–

किसान रेल एक तरह की स्पेशल ट्रेन है, कृषि मंत्रालय का कहना है कि यह प्रयास किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य से किया गया है। रेलवे के इस प्रयास को सरकार के उस लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत कहा गया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। इस ट्रेन के माध्यम से “सब्जियों, फलों, मांस, मछली व दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को इनके पैदावार वाले इलाकों से उन इलाकों में पहुंचाया जाएगा जहां इनका अच्छा बाजार है।” इसमें किसान व व्यापारी इच्छा के अनुरूप माल की लदान कर सकेंगे तथा इसके भाड़े में उन्हें रियायत भी मिलेगी।



किसान रेल

प्रथम किसान रेल :-

देश की पहली किसान रेल को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने 07-08-2020 को विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाही (नासिक) से बिहार के दानापुर के मध्य चलेगी। इस दौरान यह साप्ताहिक ट्रेन 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

:: नोट ::

- ◆ किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हुए हैं।
- ◆ ट्रेन का मार्ग : देवलाही – नासिक रोड – भुसावल – बुरहानपुर – खंडवा – जबलपुर – कटनी – मणिकपुर – प्रयागराज – बक्सर – दानापुर।
- ◆ भारतीय रेलवे व कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से स्पेशल किसान ट्रेन की शुरुआत की गई है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-2)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है:-

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने तय किया है इसके तहत कृषि के अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन एवं मछली पालन से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” की शुरुआत की गई है जिसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत “20050” करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है यह फंड मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा फंड है। इस योजना के तहत मरीन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर तथा फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश प्रस्तावित है।



नोट

- इस योजना का लाभ केवल मछुआरा समुदाय (मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्व सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी इत्यादि) से संबंध रखने वाले को मिलेगा।
- प्राकृतिक आपदा (समुद्री तूफान, बाढ़, चक्रवात) से प्रभावित मछुआरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- मछलीपालन को सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड धारक 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कर्ज लेकर मछलीपालन का कार्य कर सकता है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10-09-2020 को हुआ।
- इस योजना के माध्यम से अनुमानतः 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर “1 लाख करोड़” रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-3)
 - Paper No. 07 (Part-1)

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना यह जानने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या यह जानना आवश्यक है तो आइये जानते हैं “न्यूनतम समर्थन मूल्य” है क्या-

न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक अर्थात् कृषक को इस बात की गारंटी दी जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो, कृषक को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार “न्यूनतम समर्थन मूल्य” कृषकों को अधिक से अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रेरित करता है।

यह घोषणा वर्ष में “2 बार” “खरीफ तथा रबी” के फसलों के लिए की जाती है।

अब जानते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना है क्या-



फसलों की खरीदी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2018 के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2500 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20 हेतु धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड-ए) का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1815 एवं 1835 रु. प्रति क्विंटल जारी किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित (फसलों की खरीदी हेतु जारी मूल्य) तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के माध्यम से कृषकों को दी जाएगी, साथ ही इस योजना के तहत गन्ने की खरीदी 355 रु. प्रति क्विंटल (न्यूनतम समर्थन मूल्य + प्रोत्साहन राशि) की दर से तथा धान व मक्का लगाने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रु. प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी।

नोट:-

- ♦ अंतर व प्रोत्साहन राशि का भुगतान “4” किश्त में होगा।
- ♦ राजीव गांधी की पुण्यतिथि अर्थात् 21 मई 2020 से पहली किश्त का वितरण प्रारंभ हुआ।
- ♦ इस योजना के तहत राज्य शासन पर 5700 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- ♦ इसका लाभ 19 लाख कृषकों को मिलेगा।
- ♦ वर्तमान में “धान, मक्का व गन्ना” कृषकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



सांसद आदर्श ग्राम योजना

11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गावों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श ग्राम बने, जिससे लोग उनका अनुकरण कर उन बदलावों को स्वयं पर लागू भी करें। इस योजना के तहत सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में "एक" आदर्श ग्राम को विकसित करना था तत्पश्चात वर्ष 2019 तक "तीन" और वर्ष 2024 तक "पांच" आदर्श ग्राम का निर्माण करना है।

इस योजना का उद्देश्य सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक ग्राम का चयन कर उस ग्राम को कृषि, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर विकास के मार्ग पर अग्रसर करना है। साथ ही आदर्श ग्राम निकटवर्ती ग्रामों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें और उन्हें भी उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

नोट:-

- ❑ इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी।
- ❑ राज्य में 16 सांसद (11 लोकसभा + 5 राज्यसभा) आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम का चयन करते हैं।
- ❑ वर्ष 2025 तक एक सांसद के माध्यम से 5 ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गांव की सामाजिक एवं अर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाए। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि "सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है"। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को राज्य में नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

प्राथमिकता:-

- **पहली-** सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य।
- **दूसरी-** सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारामासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-2)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 दिनांक 07 सितम्बर 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 4(1) अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीराधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 4 जिले (रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

नोट :-

- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा "छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम-2013" बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस को बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 हेतु 176/- रु. प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

अल्प पोषण मां एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपायी, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू की गयी है।

योजनांतर्गत 5,000/- रु. की सहायता राशि तीन किशतों में क्रमशः गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात 1,000/- रु., छः माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत 2,000/- रु. तथा बच्चे के जन्म एवं टीकाकरण पश्चात 2,000/- रु. की राशि सीधे हितग्राही को उनके खाते के माध्यम से दी जाती है। यह योजना केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू है।

नोट:- राज्य में 27 जिलों में 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   